



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 109

दर्ज तिथि:-26.04.2022

1. जीवाराम पुत्र वालाराम
2. निम्बाराम पुत्र वालाराम
3. डूंगराराम पुत्र वालाराम
4. पूनमाराम पुत्र वालाराम
5. ओखाराम पुत्र वालाराम
6. तुलछाराम पुत्र वालाराम
7. हिमतराम पुत्र वालाराम
8. प्रभा देवी पत्नी वालाराम

जाति रबारी निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र रायमलराम
2. कोजाराम पुत्र रायमलराम
3. रूपाराम पुत्र रायमलराम
4. सवाराम पुत्र हीराराम
5. कोजाराम पुत्र हीराराम
6. सुजानाराम पुत्र हीराराम
7. हरदाराम पुत्र हीराराम
8. मदाराम पुत्र हीराराम
9. पारूदेवी पत्नी हीराराम
10. राजा पुत्र करना

11. भेरा पुत्र करना जाति रबारी

12. किशनाराम पुत्र भीखाराम

जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

13. जमना पत्नी रामाराम

14. धर्मो देवी पत्नी जगदीश

जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

15. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे हाल एसबीआई राणा प्रताप बाजार गुढामालानी

16. शाखा प्रबंधक एसबीआई कृषि विकास शाखा गुढामालानी।

17. तहसीलदार गुढामालानी



उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री चिमनसिंह चौधरी

श्री जगदीश कडवासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-12.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 927/12.0272 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण वाद तामील असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर अपना जबाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण हिस्से का खाता भी पृथक किया जावे। जबाब के साथ प्रतिदावा के साथ संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.08.2024 को एवं संशोधित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.01.2025 को जारी की

जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/904 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/904 दिनांक 09.06.2025 अनुसार दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/904 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 12.05.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 837-858 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 837-858 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 927/12.0272 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त

खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकारान की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।
5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 927/12.0272 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जमना पत्नी रामाराम हि0 1/2 धर्मीदेवी पत्नी जगदीश हि0 1/2 जाति विश्णोई सा0 देह खातेदार	भीलों की ढाणी	927	1.7414	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.7414 है0				

परमोदेवी पत्नी वाला हि0 1/2 जीवाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 निम्बाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 डूंगराराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 पूनमाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 ओखाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 तुलछाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 हिमताराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 प्रभादेवी पत्नी वालाराम हि0 1/16 कौम रबारी सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा परमोदेवी एसबीआई गुड़ामालानी	भीलों की ढाणी	927 927	2.3795 1.1033	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 3.4828 है0				
कोजाराम पुत्र रायमल हि0 1/9 रूपाराम पुत्र रायमल हि0 1/9 तुलछाराम पुत्र रायमल हि0 1/9 कोजाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 मदाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 सवाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 सुजानाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 हरदाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 राजा पुत्र करना हि0 1/6 पारुदेवी पत्नी हीराराम हि0 1/18 भैरा पुत्र करना हि0 1/6 रहन-कोजा पुत्र रायमल एसबीबीजे गुड़ामालानी, कोजा पुत्र हीरा एसबीआई गुड़ामालानी, तुलछाराम पुत्र रायमल एसबीबीजे गुड़ामालानी, मदाराम, सुजानाराम एसबीआई गुड़ामालानी	भीलों की ढाणी	927 927	3.7231 1.5017	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 5.2248 है0				
नर्मदा नहर परियोजना	भीलों की ढाणी	927	1.5782	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.5782 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

जीवाराम बनाम तुलछाराम

2022 / 109

निर्णय दिनांक:-12.06.2025

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 109

दर्ज तिथि:-26.04.2022

1. जीवाराम पुत्र वालाराम
2. निम्बाराम पुत्र वालाराम
3. डूंगराराम पुत्र वालाराम
4. पूनमाराम पुत्र वालाराम
5. ओखाराम पुत्र वालाराम
6. तुलछाराम पुत्र वालाराम
7. हिमतराम पुत्र वालाराम
8. प्रभा देवी पत्नी वालाराम

जाति रबारी निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र रायमलराम
2. कोजाराम पुत्र रायमलराम
3. रूपाराम पुत्र रायमलराम
4. सवाराम पुत्र हीराराम
5. कोजाराम पुत्र हीराराम
6. सुजानाराम पुत्र हीराराम
7. हरदाराम पुत्र हीराराम
8. मदाराम पुत्र हीराराम
9. पारुदेवी पत्नी हीराराम
10. राजा पुत्र करना

11. भेरा पुत्र करना जाति रबारी

12. किशनाराम पुत्र भीखाराम

जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

13. जमना पत्नी रामाराम

14. धर्मो देवी पत्नी जगदीश

जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

15. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे हाल एसबीआई राणा प्रताप बाजार गुढामालानी

16. शाखा प्रबंधक एसबीआई कृषि विकास शाखा गुढामालानी।

17. तहसीलदार गुढामालानी

.....वादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री चिमनसिंह चौधरी

श्री जगदीश कडवासरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

**-:पर्चा डिक्री:-**

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 927/12.0272 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
जमना पत्नी रामाराम हि0 1/2 धर्मीदेवी पत्नी जगदीश हि0 1/2 जाति विश्णोई सा0 देह खातेदार	भीलों की ढाणी	927	1.7414	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.7414 है0				
परमोदेवी पत्नी वाला हि0 1/2 जीवाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 निम्बाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 डूंगराराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 पूनमाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 ओखाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 तुलछाराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 हिमताराम पुत्र वालाराम हि0 1/16 प्रभादेवी पत्नी वालाराम हि0 1/16 कौम रबारी सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा परमोदेवी एसबीआई गुडामालानी	भीलों की ढाणी	927 927	2.3795 1.1033	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 3.4828 है0				
कोजाराम पुत्र रायमल हि0 1/9 रूपाराम पुत्र रायमल हि0 1/9 तुलछाराम पुत्र रायमल हि0 1/9	भीलों की ढाणी	927 927	3.7231 1.5017	बा0दो0 बा0दो0

कोजाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 मदाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 सवाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 सुजानाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 हरदाराम पुत्र हीराराम हि0 1/18 राजा पुत्र करना हि0 1/6 पारुदेवी पत्नी हीराराम हि0 1/18 भैरा पुत्र करना हि0 1/6 रहन-कोजा पुत्र रायमल एसबीबीजे गुड़ामालानी, कोजा पुत्र हीरा एसबीआई गुड़ामालानी, तुलछाराम पुत्र रायमल एसबीबीजे गुड़ामालानी, मदाराम, सुजानाराम एसबीआई गुड़ामालानी				
कुल किता 02 रकबा 5.2248 है0				
नर्मदा नहर परियोजना	भीलों की ढाणी	927	1.5782	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.5782 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुड़ामालानी-बाड़मेर